न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–8 / 2025

GCMS NO:- 2025/121

दायर दिनांक– 30.5.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

विजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्रीनारायण शर्मा नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ हाल नि0 मकान नम्बर 104 / 105 कुम्भा मार्ग प्रताप नगर जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजरथान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फतेहसिंह आशावत।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव मे खसरा नम्बर 2806 व 2813 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3461 हैक्टयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थी व भूमि के पडोसी खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजुदगी मे दिनांक 26.6.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के आदेश की पालना मे पटवारी हल्का बामनगांव व पटवारी हल्का समीधी द्वारा सीमांकन किया जा चुका हैं। सीमांकन होने के पश्चात भी भूमि की सीमा के संबंध मे विवाद बना हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान का आवेदन पत्र की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। बाद बहस के विवेचन, प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 2806 व 2813 का सीमांकन पूर्व मे हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि **ग्राम बामनगांव मे खसरा नम्बर 2806 व 2813 कुल किता 2 कुल रकबा 2.3461 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ